

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

प्रथम तल, ब्लॉक-6, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 17

फोन:- 2708739 फैक्स:- 2701822

E-mail:cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/एबीएल/2020-21/ 17665

दिनांक 28/12/2020

कार्यालय आदेश

विषय :- गतिविधि आधारित अधिगम किट कक्षा 1-2 के क्रम में।

कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नवाचार के साथ शिक्षण कार्य करवाने हेतु गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कक्ष का विकास विगत सत्रों से चयनित 19776 विद्यालयों में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु एबीएल किट उपलब्ध कराये गये हैं। वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 में FLN Numaracy अन्तर्गत 8436 विद्यालयों हेतु एबीएल किट अनुमोदित है, जिसका मुद्रण कार्य प्रक्रियाधीन है। पूर्व सत्रों (2016-17) से प्रयोग की जा रही एबीएल किट सामग्री की समीक्षा आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा की गई।

आरएससीईआरटी से प्राप्त विषयवार किट सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शिका (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी) का मुद्रण बजट की उपलब्धतानुसार कराया जाना है। अतः एबीएल कक्षा 1-2 की किट सामग्री एवं शिक्षक मार्गदर्शिका को अन्तिम रूप दिए जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता दिनांक 31.12.2020 को प्रातः 10:00 बजे ब्लॉक नं. 5 चतुर्थ तल सभागार में कार्यशाला आयोज्य है। कार्यशाला में निम्न अधिकारी, विषय विशेषज्ञ निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

क्र.स	अधिकारी/विषय विशेषज्ञ	पद एवं पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती श्यामा राठौड	उपायुक्त-द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
2	डॉ. रचना शर्मा	उपनिदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3	श्री मुकेश चन्द	सहायक निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4	प्रभारी अधिकारी (ABL)	आरएससीईआरटी, उदयपुर
5	श्री मोहित कुमार	प्रधानाचार्य, राउमावि. मण्डावा, उदयपुर
6	श्री कमल शेखावत (अंग्रेजी)	व.अ. (अंग्रेजी) राबामावि. भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर।
7	डॉ० विमलेश कुमार पारीक (हिन्दी)	प्र० अ० राउप्रावि. कोकावास, सांगानेर शहर, जयपुर।
8	श्रीमती मधु सिंह चौहान (गणित)	अ०, (गणित) राउप्रावि, अवधपुरी, जयपुर।

www.rajsevak.com

28/12/20
(एम.आर. बगडिया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/एबीएल/2020-21/ 17665

दिनांक : 28/12/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, जयपुर, उदयपुर को पालनार्थ।
5. उपनिदेशक, स्टोर को देकर लेख है कि 13 व्यक्तियों हेतु चाय नाश्ता (दो बार) एवं दोपहर लंच की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
6. सम्बन्धित संस्थाप्रधान
7. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक
8. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त-द्वितीय